



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042025-262442
CG-DL-E-12042025-262442

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]
No. 303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर (गढ़वाल), 21 मार्च, 2025

पत्रांक : हे0न0ब0ग0व0व0/शैक्षणिक/2025/115.— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।—

अध्यादेश – 10

परीक्षा समिति के गठन, कोरम, बैठकें, शक्तियां और कार्यों हेतु

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परीक्षा नियंत्रक के अध्यादेशों के खंड 14, 15(बी) (सी) (एच) को लागू करने के प्रयोजन हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) की परीक्षा समिति के गठन, कोरम, बैठकों, शक्तियों एवं कार्यों के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाया गया है।

परीक्षा समिति की संरचना

1. एक परीक्षा समिति होगी एवं इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

क. कुलपति पदेन अध्यक्ष होंगे

2500 GI/2025

(1)

ख. कुलसचिव - सदस्य, पदेन

ग. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष - सदस्य, पदेन

घ. परिसर निदेशक- सदस्य, पदेन

ड. छात्र कल्याण अधिष्ठाता -पदेन

च. विश्वविद्यालय के दो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालय से तथा एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय से होंगे, वरिष्ठता के क्रम में प्रत्येक दो वर्ष हेतु रोटेशन (क्रमावर्ती) द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

छ. प्रत्येक विद्यापीठोंसे संबंधित विद्यापीठ(स्कूल)के विभागों में से एक वरिष्ठतम संकाय को दो वर्ष की अवधि हेतु क्रमावर्ती(रोटेशन) द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

छ. क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद (विश्वविद्यालय सेवा से संबंधित नहीं), कुलपति द्वारा नामित होंगे।

ज. परीक्षा नियंत्रक- सदस्य सचिव, पदेन

कोरम

2. परीक्षा समिति के 50% सदस्यों से समिति गठित होगी।

परीक्षा समिति की बैठकें

3. परीक्षा समिति प्रत्येक सेमेस्टर (विषम/सम) में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी।

परीक्षा समिति की शक्तियाँ एवं कार्य

4. इस प्रकार सेगठित परीक्षा समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- क. परीक्षा समिति को समय-समय पर संचालन, संग्रहण, सारणीकरण सहित विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।
- ख. बी.ओ.एस. द्वारा सुझाए गए परीक्षकों एवं मॉडरेटरों के पैनल की जांच करना, तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाने का अधिकार होना।
- ग. विश्वविद्यालय परीक्षा की प्रक्रिया, परिणाम घोषणा प्रक्रिया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का लेखा-परीक्षण करना, तथा तत्पश्चात उसे अकादमिक परिषद के विचारार्थ अग्रेप्ति करना।
- घ. परीक्षा प्रणाली के प्राधिग्रहण हेतु अकादमिक परिषद को संस्तुति प्रदान करना।
- ड. विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रमों की परीक्षा तिथि निर्धारित करना।
- च. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के विभिन्न केन्द्रों में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के विवेकपूर्ण वितरण के मुद्दे पर विचार करना।
- छ. अपने विषय की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर पकड़े गए छात्रों को दंडित किये जाने हेतु दंड की प्रकृति एवं स्तर संबंधी सुझाव देना।
- ज. अध्ययन कार्यक्रम पूरा होने पर छात्रों को जारी किए गए अंकपत्रों/डिग्रियों और अन्य प्रमाणपत्रों में परिवर्तन का सुझाव देना।
- झ. विश्वविद्यालय अकादमिकपरिषद के अनुमोदन के अधीन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में निर्धारित व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा समीक्षा प्रक्रिया को सशक्त बनाना।

डॉ. राकेश कुमार ढोडी, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./35/2025-26]

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, UTTARAKHAND
(A CENTRAL UNIVERSITY)

NOTIFICATION

Srinagar, (Garhwal), the 21st March, 2025

Letter: H.N.B.G.U./Academic./2025/115.— The following is published for general information.—

Ordinance No.-10

(For Constitution, Quorum, Meetings, Powers, and Functions of Examination Committee)

In exercise of the powers vested in Section 28(2) of the Central Universities Act 2009 and for the purpose of implementing Clauses 14, 15(b) (c) (h) of the Ordinances of The Controller of Examinations, the Executive Council hereby makes the following Ordinance for Constitutions, Quorum, Meetings, Powers and Functions of the Examination Committee in Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University (A Central University)

Composition of the Examination Committee

1. There shall be an Examination Committee and it shall comprise of:

- a. Vice-Chancellor who shall be the Chairperson, Ex-officio
- b. Registrar- Member, Ex-Officio
- c. Deans of the Schools- Members, Ex-Officio
- d. Directors of Campuses- Member, Ex-Officio
- e. Dean of Students' Welfare- Ex-Officio
- f. Principals of Two Affiliated Colleges of the University, of which one shall be from the Government Colleges and one from Non-Government Aided Colleges, in order of seniority by rotation for every two years
- g. One Senior-most faculty from each school among the Departments of the concerned school by rotation for two years duration
- h. Two eminent educationists of the area (not belonging to the University Services), nominated by the Vice-Chancellor.
- i. Controller of Examinations- Member Secretary, Ex-officio

Quorum

2. 50% of the members of examination committee shall constitute the quorum of the committee.

Meetings of the Examination Committee

3. The Examination Committee shall hold one meeting at least once in every semester (Odd/even).

Powers and Functions of the Examination Committee

- 4. The Examination Committee so constituted shall perform the following functions:
 - a. The Examination Committee shall be authorized to supervise the University Examination work including operation, collection, tabulation from time to time.

- b. scrutinize the panel of examiners and moderators suggested by BoS , and if necessary be empowered to remove them.
- c. Audit the process of university examination, result declaration process and submission of reports, thereon forward for the consideration of the Academic Council.
- d. Make recommendations to the Academic Council for improvement of examination system.
- e. Finalize the dates of the examinations of university study programmes.
- f. Consider the issue of judicious distribution of students appearing in the examination at various centers of university examinations.
- g. To suggest the nature and level of punishment to the students apprehended by the examination centers for involving in unfair means practices while appearing in his/her subject examination.
- h. to suggest alteration in the mark sheets/degrees and other certificates issued to the students on completion of study programmes.
- i. Empowered to review the existing process of conducting practical and viva-voce examinations prescribed in the university courses subject to the approval of the University Academic Council.

Dr. RAKESH KUMAR DHODI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./35/2025-26]